बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
संकल्प

संख्या-11/आ०1-1010/2025- 472 पटना, दिनांक- 24/02/26

विभाग द्वारा दिनांक-20.08.2025 को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, सहरसा अन्तर्गत संचालित जलापूर्त्ति योजनाओं की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मेसर्स खुशी कन्स्ट्रक्शन, पटना को आवंटित कुल-118 ग्रुपों के अन्तर्गत 425 योजनाओं के विरूद्ध मात्र 169 योजनाओं में ही Trail & Run प्रारंभ किया गया, जो कुल आवंटित योजनाओं का मात्र 40 प्रतिशत है। शेष 256 योजनाएँ अपूर्ण पायी गयी। उक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा भी LPA No.-126/2021 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम मेसर्स खुशी कन्स्ट्रक्शन में दिनांक-29.07.2024 को न्यायादेश पारित करते हुए संवेदक को छः माह के अन्दर कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया था। योजनाओं का उचित पर्यवेक्षण नहीं किये जाने एवं एकरारनामा में निहित प्रावधान के अनुसार एजेंसी के विरूद्ध ससमय कार्रवाई नहीं करने के आरोप के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-1947-सह-पठित ज्ञापांक-1948, दिनांक-11.09.2025 द्वारा श्री संतोष कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, सहरसा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

02. निलंबित किये जाने के पश्चात श्री कुमार से विभागीय पत्रांक-2380, दिनांक-05.12.2025 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार के पत्रांक-शून्य, दिनांक-09.12.2025 द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया। विभाग द्वारा श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी एवं समीक्षा क्रम में यह पाया गया कि श्री कुमार द्वारा अपने स्पष्टीकरण में स्वयं के बचाव हेतु कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि नियंत्री पदाधिकारी होने के नाते एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के दृष्टिगत श्री कुमार का यह दायित्व था कि वे योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर योजनाओं का ससमय क्रियान्वयन सुनिश्चित कराते। श्री कुमार द्वारा समर्पित किये गए स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है। फलतः श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण अस्वीकार करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित करने का निर्णय लिया गया है।

03. वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त बिहार के राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र के आधार पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाय। एतदर्थ बिहार के राज्यपाल उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अरविन्द कुमार, अपर सचिव, लोक स्वास्थ्य

अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं मो० जुबैर, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य परियोजना प्रमंडल संख्या-05, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

04. आरोपित श्री कुमार, संकल्प प्राप्ति की तिथि से 10 दिवसों के भीतर उस तिथि एवं उस समय पर, जो जाँच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनों से अनधिक अवधि के भीतर, उनके समक्ष उपस्थित होंगे तथा आरोप पत्र में उल्लेखित आरोप के संबंध में अपना लिखित बचाव-बयान समर्पित करेंगे।

05. जाँच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार जाँच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आरोप पत्र (अनुलग्नक सहित) के साथ श्री संतोष कुमार, निलंबित अधीक्षण अभियंता(असैनिक), मुख्यालय-मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर/जाँच संचालन पदाधिकारी श्री अरविन्द कुमार, अपर सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी मो० जुबैर, कार्यपालक अभियंता(असैनिक), लोक स्वास्थ्य परियोजना प्रमंडल संख्या-05, पटना को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

24.02.26

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-11/आ०1-1010/2025- 472 पटना, दिनांक- 24/02/26

प्रतिलिपिः-वित्त(वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.02.26

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-11/आ०1-1010/2025- 472 पटना, दिनांक- 24/02/26

प्रतिलिपि:-श्री अरविन्द कुमार, अपर सचिव-सह-जाँच संचालन पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/मो० जुबैर, कार्यपालक अभियंता-सह-प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य परियोजना प्रमंडल संख्या-05, पटना एवं श्री संतोष कुमार, निलंबित अधीक्षण अभियंता(असैनिक), मुख्यालय-मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोपरि।

24.02.26

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-11/आ०1-1010/2025- 472 पटना, दिनांक-24/02/26

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर/प्रशाखा पदाधिकारी-1, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/श्री संतोष कुमार, निलंबित अधीक्षण अभियंता, मुख्यालय-मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर/विभागीय आइ०टी० मैनेजर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.02.26

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

24/2/26